मिसल नम्बर 02 / 2021
निर्णय दिनांक 10–02–2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :— **02 / 2021**

सरकार

बनाम

मदन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी काली पहाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

...................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट—1956)

दिनांक :— 10—02—2021

—: <u>निर्णय</u> :—

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 4.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 50 फीट भूमि पर गैर सायल मदन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी काली पहाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने दीवार लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का पपुरना के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल द्वारा राजस्व ग्राम काली पहाड़ी की भूमि खसरा नम्बर 425 के रकबा 4.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 50 फीट है0 भूमि पर अनाधिकृत रुप से किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में बरसात में पहाड़ से पानी के तेज बहाव को रोकने एवं अपने मकान के बचाव के लिए दीवार लगाना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल मदन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी काली पहाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने **राजस्व ग्राम काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 4.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 50 फीट पर दीवार लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रुप से अपने अभियोग में लेने या रखने

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनूं (राज.)

मिसल नम्बर 02/2021
निर्णय दिनांक 10–02–2021

का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का पपुरना की रिर्पोट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का पपुरना के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम पपुरना** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 4.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 50 फीट पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का पपुरना से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 4.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 50 फीट भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनू (राज.)